न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 102/2017 दायर तारीख :– 07.11.2017

1. प्यारसीलाल पुत्र नारायण जाती जोगी निवासी मैड़ तहसील विराटनगर

— प्रार्थी

बनाम

1. उम्मेद कंवर पत्नि तेजसिंह जाती राजपूत निवासी मैड़ तहसील विराटनगर
2. तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

उपस्थित : श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.04.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 3669/0.09, 3666/0.1242 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने अपनी की खातेदारी भूमि की तहसीलदार विराटनगर के आदेश अनुसार दिनांक 13.07.2017 को सीमाज्ञान करवा लिया है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 एवं अन्य पडौसी खातेदारों ने उक्त सीमाचिन्हों को मानने से इन्कार करते है। अतः प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 3669/0.09, 3666/0.1242 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 13.07.2017, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 3669/0.09, 3666/0.1242 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

भूमि है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने दिनांक 13.07.2017 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 3669/0.09, 3666/0.1242 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner